रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 27, 2014/ज्येष्ठ 6, 1936
No. 278] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 27, 2014/JYAISTHA 6, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2014

सा.का.नि.358(अ).- केन्द्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 36 की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा 51 की उप-धारा (2) के खंड (च), खंड (छ) और खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है ;

(ख) "न्याय निर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "अपील" से अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन की गई कोई अपील अभिप्रेत है ;

(घ) "अपील अधिकरण" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ट के अधीन गठित प्रतिभूति अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्ररुप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप अभिप्रेत है ;

(च) "सदस्य" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ठ के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपील अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;